रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1973/अग्रहायण 20, 1895
No. 298] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 1973/AGRAHAYANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th December 1973

SUBJECT.—*Import of 'Dry fruits' [S. No. 21(a)(ii)/IV] from IRAN during January—March.* 1973 *licensing period—Extension in the validity period.*

No. 214-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to paragraph 9 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 42-ITC(PN)/73, dated the 6th March 1973, in terms of which, licences issued for import of 'Dry fruits' from Iran for the period January—March 1973 were valid for a period of six months from the date of issue.

2. On a review of the position, it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences, issued for import of 'Dry fruits' from Iran in terms of the aforesaid Public Notice, may be deemed to have been extended upto 31st December, 1973. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1973

विषय.—लाइसेंस अवधि जनवरी–मार्च, 1973 के दौरान ईरान से 'सूखे फलों' [क्रम संख्या 21(ए)(2)/4] का आयात-वैधता अवधि में वृद्धि।

सं० 214–आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—आयातकों का ध्यान वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 42–आई०टी०सी० (पी०एन०)/73 दिनांक 6 मार्च, 1973 की कंडिका 9 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार जनवरी–मार्च, 1973 अवधि के दौरान ईरान से "सूखे फलों" के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंस उनके जारी किए जाने की तारीखें 6 माह तक के लिए वैध थे।

स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार ईरान से 'सूखे फलों' के आयात के लिए जारी किए गए उन लाइसेंसों की वैधता अवधि को 31 दिसम्बर, 1973 तक बढ़ाया गया समझा जाए जिनका उपयोग नहीं किया गया है। आंशिक उपयोग किया गया है। लाइसेंसों पर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में पृष्ठान करने की जरूरत नहीं है। यदि आयात अन्यथा ठीक हैं, तो सीमा शुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई तारीख के भीतर निकासी की अनुमति देंगे।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973